रजिस्ट्री सं० डी०-(डी) 72 REGISTERED No. D-(D)-22

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 1974/ पौष 3, 1896
No. 44] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 1974/PAUSA 3, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1974

का० नि० आ० 57-ई.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 12 फरवरी, 1975 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को फतेहगढ़ छावनी के वार्ड नं० V में साधारण निर्वाचन किए जाएंगे ।

[सं० का० 29/66/सी/एल० एण्ड सी०/66/3452-सी/1/डी (क्यू० एण्ड सी०)]

एम० एल० दवे, संयुक्त सचिव ।

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December 1974

S.R.O. 57(E).—In exercise of he powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby fixes 12th February, 1975 as the date on which elections in Fatehgarh Cantonment in Ward No. V shall be held.

[No. F. 29/66/C/L&C/66/3452-C/1/D(Q&C)]

M. L. DAVE, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974